



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022021-225559
CG-DL-E-27022021-225559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 893]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27, 2021/फाल्गुन 8, 1942

No. 893]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27, 2021/PHALGUNA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2021

का.आ. 966(अ).—कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं0 93/2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-खंड (ii), अधिसूचना संख्या का.आ. 4805 (अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2020, के आंशिक संशोधन में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), केंद्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, यहां निर्दिष्ट करती है कि,-

(अ) ऐसे मामले में जहां निर्दिष्ट अधिनियम, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयकर अधिनियम कहा गया है) है और अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (अ) में संदर्भित किसी भी कार्रवाई को पूरा करने हेतु किसी आदेश को पारित करने से संबंधित है-

(क) आयकर अधिनियम के अध्याय XXI के तहत शास्ति से संबंधित, -

(i) 29 जून, 2021 उस अवधि की अंतिम तिथि होगी जिसके दौरान आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित समय सीमा उक्त खंड में निर्दिष्ट ऐसी कार्रवाई को पूरा करने के लिए आती है; और

(ii) 30 जून, 2021 अंतिम तिथि होगी जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या अनुपालन करने की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी;

(ख) आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन से संबंधित और धारा 153 या धारा 153ब के तहत ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा –

(i) जहां किसी मामले में 31 दिसंबर 2020 की अधिसूचना द्वारा इसके विस्तार के कारण 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है, ऐसी समय सीमा 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दी जाएगी;

(ii) जहां मामले (i) के दायरे में नहीं आने पर और 31 मार्च, 2021 समाप्त हो रही है, ऐसी समय सीमा 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दी जाएगी;

(ब) ऐसे मामले में जहां निर्दिष्ट अधिनियम बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 है, (इसके बाद बेनामी अधिनियम के रूप में संदर्भित) और किसी भी कार्रवाई को पूरा करना, जैसा कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (अ) में संदर्भित है, उप-धारा (1) के तहत नोटिस जारी करने या बेनामी अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (3)के तहत किसी भी आदेश को पारित करने से संबंधित है—

(i) 30 जून, 2021 उस अवधि की अंतिम तिथि होगी जिसके दौरान बेनामी अधिनियम में निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित समय सीमा उक्त खंड में निर्दिष्ट ऐसी कार्रवाई को पूरा करने के लिए आती है; और

(ii) 30 सितम्बर, 2021 अंतिम तिथि होगी जिस पर ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या अनुपालन करने की समय सीमा बढ़ा दी जाएगी।

[अधिसूचना सं.10 /2021/फा. सं. 370142/35/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति एवं विधान प्रभाग

नोट : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 4805 (अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, धारा 3 की उपधारा (ii) के दिनांक 31 दिसंबर, 2020 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2021

S.O. 966(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (38 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No.93/2020 dated the 31st December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4805(E), dated the 31st December, 2020 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby specifies, for the purpose of sub-section (1) of section 3 of the said Act, that,—

(A) where the specified Act is the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Income-tax Act) and the completion of any action, as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to passing of any order—

(a) for imposition of penalty under Chapter XXI of the Income-tax Act, —

(i) the 29th day of June, 2021 shall be the end date of the period during which the time limit specified in or prescribed or notified under the Income-tax Act falls, for the completion of such action; and

(ii) the 30th day of June, 2021 shall be the end date to which the time limit for completion of such action shall stand extended;

(b) for assessment or reassessment under the Income-tax Act, and the time limit for completion of such action under section 153 or section 153B thereof, —

(i) expires on the 31st day of March, 2021 due to its extension by the said notification, such time limit shall stand extended to the 30th day of April, 2021;

(ii) is not covered under (i) and expires on 31st day of March, 2021, such time limit shall stand extended to the 30th day of September, 2021;

(B) where the specified Act is the Prohibition of *Benami* Property Transaction Act, 1988, (45 of 1988) (hereinafter referred to as the *Benami* Act) and the completion of any action, as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, relates to issue of notice under sub-section (1) or passing of any order under sub-section (3) of section 26 of the *Benami* Act,—

(i) the 30th day of June, 2021 shall be the end date of the period during which the time limit specified in or prescribed or notified under the *Benami* Act falls, for the completion of such action; and

(ii) the 30th day of September, 2021 shall be the end date to which the time limit for completion of such action shall stand extended.

[Notification No. 10/2021/F. No. 370142/35/2020-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy & Legislation Division

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 4805 dated 31st December, 2020.